उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

संख्या-10/2017/3-212/दस-2017-101(9)/2007टीसी

लखनऊ: दिनाँक: 28 अप्रैल,2017

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ से सेवानिवृत्त मा0 मुख्य न्यायाधीश/मा0 न्यायमूर्तिगण को नित प्रतिदिन के आकस्मिक कार्यों के लिये ली जाने वाली सेवाओं हेतु घरेलू सेवक भत्ता न्याय विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-742/सात-न्याय-1-12-60/98 दिनाँक 12-04-2012 द्वारा अनुमन्य कराया गया। तदोपरान्त रिट याचिका संख्या-521/02 पी0 राम कृष्णम् राजू बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य से संबद्ध अन्य रिट याचिकाओं में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनाँक 31-03-2014 के अनुपालन में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद / लखनऊ से सेवानिवृत्त मा0 न्यायमूर्तिगण को अनुमन्य प्रतिमाह घरेलू सेवक भत्ते का भुगतान प्रदेश के कोषागारों के माध्यम से किये जाने के संबंध में निबंधक (ए) मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-6261/2015/अकाउण्ट्स(बी-3), हाईकोर्ट, इलाहाबाद दिनाँक 16-10-2015 द्वारा किये गये प्रस्ताव तथा न्याय विभाग द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में यह आदेश दिये जाते हैं कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ से सेवानिवृत्त मा0 मुख्य न्यायाधीश एवं मा0 न्यायाधीशगण को अनुमन्य मासिक घरेलू सेवक भत्ते का भुगतान उस कोषागार द्वारा प्रतिमाह पेंशन के साथ किया जायेगा जहाँ से मा0 मुख्य न्यायाधीश अथवा मा0 न्यायाधीश अपनी पेंशन आहरित कर रहे हैं।

अजय अग्रवाल

सचिव, वित्त।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-10/2017/3-212(1)/दस-2017, तद् दिनॉक।

प्रलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2- महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- सचिव, नियुक्ति अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन।
4- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, उत्तर प्रदेश ,लखनऊ।
7- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- न्याय अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।